



बिहार विधान सभा

की

शून्यकाल समिति

का

98वाँ प्रतिवेदन

(कला, संस्कृति एवं युवा विभाग)

(बिहार विधान सभा की शून्यकाल समिति द्वारा प्रकाशित)

(दिनांक 28 मार्च, 2023 ई0 को सदन में उपस्थापित) ।

विषय-सूची

1. शून्यकाल समिति के सदस्यों तथा शून्यकाल समिति शाखा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची ।	पृष्ठ क
2. प्राक्कथन	ख
3. प्रतिवेदन	1 - 2
4. परिशिष्ट I, II, III, IV, V, VI एवं VII	3 - 9

बिहार विधान सभा सचिवालय
बिहार विधान सभा की शून्यकाल समिति के सदस्यों की सूची --

सभापति

1. श्री नीतीश मिश्रा स०वि०स०

सदस्यगण

1. श्री निरंजन राय स०वि०स०
2. श्री लखेन्द्र कुमार रीशान स०वि०स०
3. श्री राजेश कुमार सिंह स०वि०स०
4. श्री सत्तानंद सम्बुद्ध उर्फ ललन स०वि०स०
5. श्री कृष्णामुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया स०वि०स०
6. श्री अरूण सिंह स०वि०स०
7. श्री आलोक रंजन स०वि०स०
8. श्री अचमित ऋषिदेव स०वि०स०
9. श्री देवेश कांत सिंह स०वि०स०
10. श्री केदार प्रसाद गुप्ता स०वि०स०

सभा सचिवालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सूची--

1. श्री पवन कुमार पांडेय प्रभारी सचिव
2. श्री असीम कुमार निदेशक
3. श्री अभय शंकर राय उप-सचिव
4. श्री सुधांशु राय प्रशाखा पदाधिकारी
5. श्रीमती सुषमा सहायक
6. श्रीमती उषा कुमारी सहायक
7. श्री संजय भारती सहायक

प्राक्कथन

में, सभापति, शून्यकाल समिति बिहार विधान सभा पटना की हैसियत से सप्तदश बिहार विधान सभा में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से संबंधित द्वितीय सत्र के विभिन्न तिथियों में माननीय सदस्य श्री भूदेव चौधरी, स०वि०स०, श्री विनय बिहारी, स०वि०स०, श्री महबूब आलम, स०वि०स० एवं श्रीमती बीना सिंह, स०वि०स०, श्री सतीश कुमार, स०वि०स०, श्री आलोक कुमार मेहता, स०वि०स० एवं श्रीमती शालिनी मिश्रा, स०वि०स० द्वारा सदन में लाये गये शून्यकाल सूचनाओं पर शून्यकाल समिति का 98वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से संबंधित ऊपर वर्णित माननीय सदस्यों से प्राप्त शून्यकाल सूचनाओं के निष्पादन में विभागीय पदाधिकारियों ने अपना सहयोग प्रदान किया है।

अंत में प्रतिवेदन तैयार करने में समिति के सभी माननीय सदस्यों, सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों, जिन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर यह कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न किया है, को भी मैं धन्यवाद देता हूँ ।

नीतीश मिश्रा,
सभापति,
शून्यकाल समिति,
बिहार विधान सभा, पटना ।

प्रतिवेदन

सत्रहवीं बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से संबंधित पूछे गये कुल शून्यकाल सूचनाओं की संख्या 17 है। जिसमें से अभी तक 07 माननीय सदस्यों के शून्यकाल सूचनाओं का उत्तर बिहार विधान सभा को प्राप्त हुआ है। शून्यकाल समिति की समीक्षा बैठकों में कुल 07 शून्यकाल सूचनाओं के उत्तर को कार्यान्वित माना गया है। जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र. सं०	माननीय सदस्यों के नाम।	शून्यकाल के विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजे गये पत्रांक।	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक एवं दिनांक।
1.	श्री भूदेव चौधरी	बाँका जिला अन्तर्गत रजौन प्रखंड मुख्यालय खेल स्थल पर प्र०वि०प०, रजौन का एन० ओ०सी० लिये बिना ही धाना प्रभारी, रजौन द्वारा पकड़ी गई गाड़ियों को लगाने से खिलाड़ियों को दिक्कत हो रही है। खेल प्रेमियों एवं आमजनों के लिये उक्त स्थल को वाहन मुक्त करने के संबंध में।	05.03.2021	11/21-921 15.03.2021	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के ज्ञापक 587, दिनांक 17 मार्च, 2021 से उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-01)
2.	श्री विनय बिहारी	लौरिया में स्वीकृत नंदनगढ़ महोत्सव तथा महिषि वाल्मिकी महोत्सव विगत पाँच वर्षों से नहीं हो रहा है। इसे शीघ्र कराने के संबंध में।	05.03.2021	11/21-920 15.03.2021	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के ज्ञापक 139, दिनांक 24 मई, 2022 से उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-02)
3.	श्री महबूब आलम	बारसोई अनुमंडल मुख्यालय में स्टेडियम निर्माण के संबंध में।	17.03.2021	18/21-1523 3.06.2021	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के ज्ञापक 110, दिनांक 15 फरवरी, 2022 से उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-03)
4.	श्रीमती वीणा सिंह	कैथली जिला-नरगत महानर अनुमंडल में कोई भी खेल का मैदान, स्टेडियम नहीं है, हाई स्कूल महानर, हिरानन्द हाई स्कूल, लावापुर या महानर प्रखंड के पीछे या जमीन खरीदकर स्टेडियम का निर्माण कराने के संबंध में।	23.03.2021	21/21-1442 28.04.2021	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के ज्ञापक 108, दिनांक 15 फरवरी, 2022 से उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-04)
5.	श्री सतीश कुमार	मखदुमपुर विधान सभा क्षेत्र में एक राष्ट्रीय स्तर का कुर्ती स्टेडियम बनाने को माँग के संबंध में।	19.03.2021	20/21-1295 09.04.2021	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के ज्ञापक 882, दिनांक 28 जून, 2022 से उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-05)
6.	श्री अश्लोक कुमार मंडल	दलसिंहसराय अनुमंडल में सैकड़ों की संख्या में असंगठित रूप से प्रशिक्षित के खिलाड़ियों ने जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक की टीम में हिस्सा लिया है। वहाँ के हजारों खिलाड़ियों के गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और बेहतर प्रदर्शन के लिये 'खेल अकादमी' की स्थापना करने के संबंध में।	19.03.2021	20/21-1293 9.04.2021	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के ज्ञापक 60, दिनांक 31 जनवरी, 2022 से उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-06)

7.	श्रीमती शालिनी मिश्रा	पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया विधान सभा क्षेत्र के केसरिया स्तूप में खनन का कार्य वर्षों से चल रहा है परंतु अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस खनन कार्य को शीघ्र पूरा करने की माँग के संबंध में।	15.03.2021	16/21-1070 25.03.2021	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के ज्ञापक 219, दिनांक 12 जुलाई, 2021 से उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-07)
----	-----------------------	---	------------	--------------------------	--

शून्यकाल सूचनाओं का प्रति उत्तर विभाग द्वारा ससमय उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में शून्यकाल के विषय अप्रासंगिक हो जाता है। सदन में उठाये गये शून्यकाल का विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण लोक महत्व का होने के साथ-साथ तात्कालिक होता है। ऐसी स्थिति में समिति भविष्य में विभाग द्वारा ससमय शून्यकाल सूचनाओं का उत्तर बिहार विधान सभा सचिवालय को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा रखती है।

/ सभापति,

नीतीश मिश्रा,
शून्यकाल समिति,
बिहार विधान सभा, पटना ।

परिशिष्ट-I

श्री भूदेव चौधरी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल संख्या 11/2021

बाँका जिला अन्तर्गत रजौन प्रखंड मुख्यालय खेल स्थल पर प्र०वि०प०, रजौन का एन०ओ०सी० लिये बिना ही थाना प्रभारी, रजौन द्वारा पकड़ी गई गाड़ियों को लगाने से खिलाड़ियों को दिक्कत हो रही है।

अतः खेल प्रेमियों एवं आमजनों के लिये उक्त स्थल को वाहन मुक्त करने की माँग करता हूँ।

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का वक्तव्य

महाशय,

वस्तुस्थिति यह है कि बाँका जिला अन्तर्गत रजौन प्रखंड मुख्यालय खेल स्थल पर थाना प्रभारी, रजौन द्वारा पकड़ी गयी गाड़ियों को हटाने के संबंध में अद्यतन वस्तुस्थिति की जानकारी उपलब्ध कराने एवं यदि थाना प्रभारी द्वारा वहाँ पकड़ी गयी गाड़ियाँ लगायी जा रही है तो उसे तत्काल हटाने के लिये जिला पदाधिकारी, बाँका एवं जिला पुलिस अधीक्षक, बाँका को विभागीय पत्रांक 582, दिनांक 17 मार्च, 2021 द्वारा निदेश दिया गया है।

परिशिष्ट-II

श्री विनय बिहारी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल की सूचना

लौरिया नन्दनगढ़ महोत्सव तथा महर्षि वाल्मिकी महोत्सव, जो पिछले पाँच वर्षों से नहीं हो रहा है उसे आपके माध्यम से करवाने की माँग करता हूँ।

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार का वक्तव्य

महाशय,

वस्तुस्थिति यह है कि नन्दनगढ़ महोत्सव एवं वाल्मिकी महोत्सव विभाग के सांस्कृतिक कैलेंडर में शामिल है। इस महोत्सव के आयोजन हेतु वर्ष 2015-16, 2017-18, 2019-20 एवं 2021-22 में विभाग द्वारा राशि स्वीकृत की गयी थी। वर्ष 2016-17 में इस महोत्सव का आयोजन, बिहार विधान परिषद् के सारण स्नातक का द्विवार्षिक निर्वाचन-2017 अंतर्गत आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने, वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2017 के संचालित होने तथा होली त्योहार 2017 के अवसर पर प्रशासनिक व्यस्तता के कारण किया जाना संभव नहीं हो पाया, एवं वर्ष 2018-19 में लोक सभा आम चुनाव में लागू आदर्श आचार संहिता एवं वर्ष 2020-21 में कोविड 19 के कारण आयोजन स्थगित रहा।

परिशिष्ट-III

श्री मोहम्मद महबूब आलम, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल संख्या 18/2021

बारसोई अनुमंडल मुख्यालय में स्टेडियम निर्माण की माँग करता हूँ।

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का वक्तव्य

महाशय,

वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिला अन्तर्गत बारसोई प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी, कटिहार से प्रस्ताव की माँग विभागीय पत्रांक 1/12631/2021, दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 एवं स्मार पत्रांक 66, दिनांक 01 फरवरी, 2022 द्वारा की गयी है।

प्रस्ताव प्राप्त होते ही विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

परिशिष्ट-IV

श्रीमती बीना सिंह, माननीया स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल संख्या 21/2021

वैशाली जिला अन्तर्गत महनार अनुमंडल में कोई भी खेल का मैदान (स्टेडियम) नहीं है, हाई स्कूल, महनार, हिरानन्द हाई स्कूल, लावापुर या महनार प्रखंड के पीछे या सरकार जमीन खरीदकर स्टेडियम का निर्माण कराये।

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का वक्तव्य

महाशय,

वस्तुस्थिति यह है कि वैशाली जिला अन्तर्गत महनार प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी, वैशाली से प्रस्ताव का माँग विभागीय पत्रांक 1/12632/2021, दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 एवं स्मार पत्रांक 67, दिनांक 01 फरवरी, 2022 द्वारा की गयी है।

प्रस्ताव प्राप्त होते ही विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

परिशिष्ट-V

श्री सतीश कुमार, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल संख्या 20/2021

मखदुमपुर विधान सभा क्षेत्र में एक राष्ट्रीय स्तर का कृशती स्टेडियम बनाने की माँग करता हूँ।

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का वक्तव्य

महाशय,

वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत प्रत्येक प्रखण्ड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है।

जहानाबाद जिला अंतर्गत मखदुमपुर प्रखण्ड के ग्राम पंचायत धरनई, विशुनपुर में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 641, दिनांक 20 फरवरी, 2017 द्वारा दी जा चुकी है, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण है।

राष्ट्रीय स्तर का कृशती स्टेडियम बनाने से संबंधित कोई योजना वर्तमान में विभाग द्वारा संचालित नहीं है।

परिशिष्ट-VI

श्री आलोक कुमार मेहता, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल संख्या 20/2021

दलसिंहसराय अनुमंडल में सैकड़ों की संख्या में असंगठित रूप से प्रशिक्षित के खिलाड़ियों ने जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक की टीम में हिस्सा लिया है। सरकार से माँग करता हूँ कि वहाँ के हजारों खिलाड़ियों के गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और बेहतर प्रदर्शन के लिये 'खेल अकादमी' की स्थापना की जाये।

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का वक्तव्य

महाशय,

वस्तुस्थिति यह है कि खिलाड़ियों के गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और बेहतर प्रदर्शन के लिये नालंदा जिला अन्तर्गत राजगीर में बिहार खेल अकादमी का निर्माण किया जा रहा है।

समस्तीपुर जिला के विद्यापति +2 उच्च विद्यालय, मठ वाजितपुर(उत्तर), समस्तीपुर में एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र फुटबॉल (बालिका) स्वीकृत है।

अनुमंडल स्तर पर खेल अकादमी की स्थापना से संबंधित कोई योजना वर्तमान में विभाग द्वारा संचालित नहीं है।

परिशिष्ट-VII

श्रीमती शालिनी मिश्रा, माननीया स०वि०स० द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा का द्वितीय सत्र में दिनांक 15 मार्च, 2021 को सदन में प्रस्तुत किये गये शून्यकाल के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया

पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया विधान सभा क्षेत्र के केसरिया स्तूप में खनन का कार्य वर्षों से चल रहा है, परन्तु अभीतक पूरा नहीं हुआ है।

अतः शून्यकाल के माध्यम से इस खनन कार्य को शीघ्र पूरा करने की माँग सदन में राज्य सरकार द्वारा ग्रहण किया गया है।

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का वक्तव्य

महाशय,

पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया स्तूप एक केन्द्रीय संरक्षित स्मारक है। अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अचल, पटना द्वारा सूचित किया गया है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया में स्थित विशाल बौद्ध स्तूप का उत्खनन उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुरूप तथा पुरातात्विक मानकों के आधार पर समय-समय पर किया जाता है। इसके साथ ही अनावृत्त संरचनाओं का संरक्षण भी आवश्यक होता है ताकि उन्हें नष्ट होने से बचाया जा सके। संसाधन के सीमित होने की स्थिति में सीमित उत्खनन ही करना श्रेयस्कर होता है। अतएव केसरिया बौद्ध स्तूप को सम्पूर्ण रूप से अनावृत्त तथा संरक्षित करने में समय लगने की संभावना है।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2023